UPSIDA

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकासप्राधिकरण

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4ए लखनपुर
कानपुर – 208024
दूरभाष : 0512- 582851-53
फैक्स : 0512-2580797
वेबसाइट: www.upsidc.com
CIN-U26961SGC002834

क्षेत्रीय प्रबन्धक
उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0,
सूरजपुर।

संदर्भ संख्या /सीडा/एटीपी दिनांक

विषय:औद्योगिक भूखण्ड संख्या 6ए, 7ए, 8ए एव 9ए/2,औ0क्षे0 सिकन्दराबाद के सविलियन स्वीकृति के सम्बध मे।

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सख्या 4785 दिनांक 15.02.2020 एव 2940 दिनाक 03.11.2020 का सदर्भ लेना चाहे। तत्सम्बन्ध मे आपके प्रस्ताव एव सस्तुति के आधार पर आवटित औद्योगिक भूखण्ड संख्या 6ए, 7ए, 8ए एव 9ए/2 औ0क्षे0 सिकन्दराबादको एकीकृत कर भूखण्ड संख्या 6ए, 7ए, 8ए एव 9ए/2(कुल क्षेत्रफल–48167.17 वर्गमी0) नामित करते हुए सविलियन मानचित्र पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा दिनाक 17.12.2020 को सशर्त सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। स्वीकृति पत्र निर्गत करने से पूर्व निम्न कार्यवाही आपके द्वारा सुनिश्चित की जानी है:–

1 नव सृजित भूखण्ड का भू–उपयोग यथावत् औद्योगिक रहेगा।
2 नव सृजित भूखण्ड के सेटबैक, भू–आच्छादन एव एफ0ए0आर0 यूपीसीडा के भूमि विकास एव भवन विनियमन, 2018 के अनुसार निर्धारित होगे।
3 यूपीसीडा के भूमि विकास एवं भवन विनियमन, 2018 के अनुच्छेद 3.3.7 B(iv) के अनुसार संविलियत भूखण्ड की रेक्टिफिकेशन डीड कराया जाना आवश्यक होगा।
4 सदर्भित भूखण्डों पर बकाया समस्त देयो का पूर्ण भुगतान प्राप्त किया जाना होगा।
5 भूखण्ड के सविलियत से पूर्व अनुमोदित विज्ञप्ति प्रारूप आपके द्वारा विज्ञापन मद मे प्रकाशित किया जाना होगा। आपके द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र मे एक अंग्रेजी एवं एक हिन्दी समाचार पत्र, जो widely circulated हो, में प्रकाशित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। प्रकाशन की सूचना प्रभारी–कम्प्यूटर, मुख्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना होगा। विज्ञप्ति में निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को संकलित करते हुए एव विज्ञप्ति प्रकाशित के समाचार पत्रों की दो–दो प्रति एटीपी अनुभाग, मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।
6 यूपीसीडा के योजना बनाने एवं अन्तिमीकरण विनियमन, 2004 के अनुच्छेद 3.3.8 के अन्तर्गत आपके कार्यालय द्वारा उक्त प्रस्ताव को दो समाचार पत्रों में जनापत्ति प्रकाशित करने पर यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसके निराकरण सम्बन्धी समस्त निर्णय आवंटी को मान्य होंगे।
7 शमन के उपरान्त संविलियन के सैद्धान्तिक अनुमोदन के 30 दिन अन्दर आवंटी द्वारा सेटबैक में स्थित अशमनीय निर्माण का ध्वस्तीकरण सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त समयावधि में यदि आवंटी द्वारा स्वंय निर्माण नहीं हटाया जाता है तो क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में नियमानुसार कार्यवाही उपरान्त अनुपालन आख्या एटीपी अनुभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। औद्योगिक भूखण्ड संख्या 6ए, 7ए, 8ए एवं 9ए/2, औ0क्षे0 सिकन्द्राबादके अनुमोदित संविलियन मानचित्र एव अनुमोदित विज्ञप्ति प्रारूप की प्रति संलग्न कर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक: यथोक्त।

/
(निमिषा शर्मा)
उप महाप्रबन्धक (वास्तु0/नियो0)

पृष्ठांकित संख्या 1169 /सीडा/एटीपी दिनांक: 29-12-2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 सहायक महाप्रबन्धक (प्र0/सा0), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, औ0क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर।
2 श्रीमती मोनिका, सहायक महाप्रबन्धक (प्र0/सा0) एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, लखनऊ।
✓3 प्रभारी (कम्प्यूटर), मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त संलग्न मानचित्र एवं विज्ञप्ति को वेबसाइट पर 30 दिन तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4 वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल), नि0ख0–2, उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, सूरजपुर।
5 निजी सचिव (मु0का0अ0/अ0मु0का0अ0), उ0प्र0रा0औ0वि0प्रा0, मुख्यालय, कानपुर।
6 मेसर्स अम्बा शक्ति इण्डस्ट्रीज लि0, एम–84 (प्रथमतल) गेटर कैलाश पार्ट–2, एम–ब्जॉक मार्कट, नई दिल्ली–110048

Nimisha 29.12.2020
(निमिषा शर्मा)
उप महाप्रबन्धक (वास्तु0/नियो0)

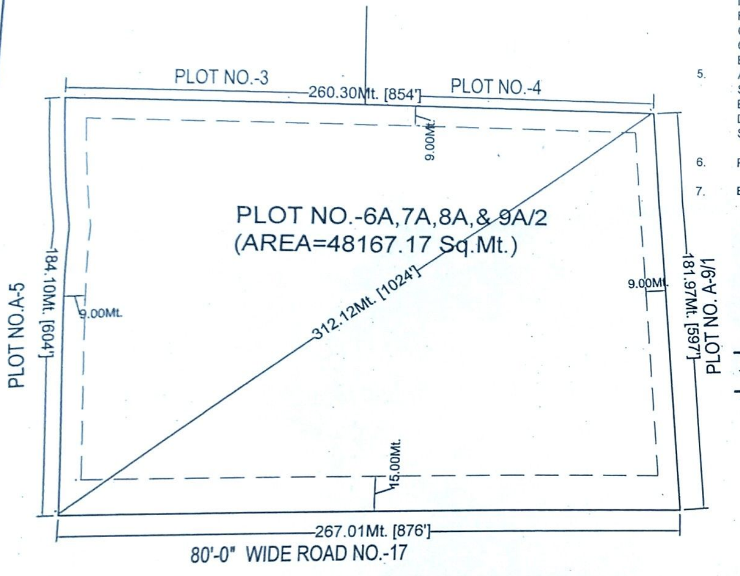

AMALGAMATION PLAN

NOTE:-

1. AMALGAMATION OF PLOT NO-6A,7A,8A,9A/2 ARE REDESIGNED AS PLOT NO-6A, 7A, 8A & 9A/2 (AREA =48167.17 SQMT.)
2. THE AMALGAMATION PLAN OF INDUSTRIAL PLOT NO:-6A,7A,8A,9A/2 HAS BEEN PREPARED AS PER THE REQUEST OF R.M. SURAJ PUR VIDE LETTER NO. 4785 Dt. 15-02-2020, 5171 Dt.18-03-2020, 98 Dt.24-9-2020, 2339 Dt.06-10-2020 & 2940 Dt.03-11-2020.
3. SETBACK, GROUND COVERAGE, F.A.R., AND OTHER REGULATION SHALL BE FOLLOWED AS PER UPSIDA BYLAWS.
4. THE APPROVAL IS PROPOSED WITH CONDITION THAT PUBLIC NOTICE WILL BE ISSUED AS PER UPSIDA PREPARATION AND FINALIZATION OF PLANS REGULATION 2004 CLAUSE NO. 3.3.8 ANY OBJECTION OR SUGGESTIONS RECEIVED WILL BE DISPOSED OF ON MERIT AND ACCORDINGLY PROPOSED AMALGAMATION WILL BE FINALIZED.
5. APPROVAL OF AMALGAMATION OF PLOT NO.- 6A,7A,8A, & 9A/2 , SIKANDRABAD, BULAND SHAHAR, DOES NOT SANCTION THE EXISTING STRUCTURE ON THESE PLOTS. ALLOTEE HAS TO GET BE DRAWING THE EXISTING BUILDING ON AMALGAMATED FLOTS SANCTIONED/ APPROVED.
6. PLOT FOR AMALGAMATION SHOWN AS.
7. EXISTING CONSTRUCTION SHOWN AS.

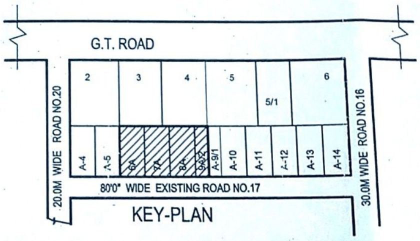

KEY-PLAN

STATEMENT OF PLOTS FOR AMALGAMATION

SL. NO.	TYPE	SIZE IN METRE	AREA IN SQ.MTR.	NO
1.	6A,7A,8A & 9A/2	TO SIZE	48167.17	01

STATEMENT OF PLOTS AFTER AMALGAMATION

SL. NO.	TYPE	SIZE IN METRE	AREA IN SQ.MTR.	NO
1.	6A,7A,8A & 9A/2	TO SIZE	48167.17	01

ARCHITECTURAL CELL

UPSIDA

UPSIDC COMPLEX
A-1/4 LAKHANPUR KANPUR. - 2080 24

JOB TITLE :-
PROPOSED AMALGAMATION PLAN OF PLOT NO. 6A,7A, 8A,& 9A/2 AT INDUSTRIAL AREA SIKANDRABAD, BULAND SHAHAR

ASSTT.MANAGER (A/P)

NIMISHA SHARMA
DY.GEN.MANAGER (A/

DRG. TITLE :-
AMALGAMATION PLAN

RAJESH KUMAR RAI
ADDL CHIEF EXICUTIVE O

REVISION NO :-

MAYUR MAHESHWAR
CHIEF EXICUTIVE OF

N

SCALE :-NOT TO SCALE

DATE :-11-11-2020

DRG NO :- SIDC / ATP / SIKANDRABAD/AMAL.

DEALT BY :- SURESH KUMAR